कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 181 दिनांकः– 13.2.18

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजनान्तर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का चौपारण ब्लॉक (चौपारण से चोरदाहा) तक 11 के0वी0 ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु 5.6322 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **वन विभागीय पत्रांक 5026 दिनांक 01.12.2017**

महाशय,

प्रासंगिक पत्र द्वारा पृच्छित बिन्दु का निराकरण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 412 दिनांक 08.02.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के प्रतिवेदनानुसार विभाग द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण निम्नवत है :–

क0सं	सरकार द्वारा की गई पृच्छा	पृच्छा का अनुपालन
1	2	3
1	विषयक परियोजना हेतु प्रस्तावित मौजा चौपारण प्लॉट संख्या 35 एवं 37 तथा मौजा बिगहा प्लॉट संख्या–1 जिस पर पूर्व में स्वीकृति प्राप्त है, को प्रश्नगत प्रस्ताव में सम्मिलित करने का औचित्य क्या है?	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग ने सूचित किया है कि विभाग द्वारा पृच्छा के अनुपालनार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि Transmission Line को तकनीकी दृष्टिकोण से सुदृढ़ करने के कम में संशोधन किये गये है। इसके आलोक में मौजा चौपारण के प्लॉट संख्या–35 एवं 37 तथा मौजा बिगहा प्लॉट संख्या–1 में ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में पड़ने वाले वनभूमि के रकबा में वृद्धि हुई जिसके कारण प्रश्नगत् प्रस्ताव (5.6322 हे0) में भी इसे सम्मिलित किया गया ताकि ट्रांसमिशन लाईन का संचरण तकनीकी पहलुओं के मद्देनजर किया जा सके। साथ ही यह भी सूचित करना है कि प्रयोक्ता संस्थान के द्वारा दिनांक 03.02.2018 को समर्पित सूचना के अनुसार किसी प्लॉट का ऐसा हिस्सा नहीं लिया गया है, (प्रश्नगत प्रस्ताव के भूमि अनुसूची में सम्मिलित नहीं किये गये हैं) जिनके अपयोजन की स्वीकृति पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर के पत्रांक JHC11/2009-BHU दिनांक 20.08.2010 द्वारा किया गया हो।

विषयगत परियोजना के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 878 दिनांक 25.02.2017 के कंडिका–IV के संबंध में यह भी सूचित करना है कि क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक

D:\SUNIL\Proposal (K)\RGGVY (Chouparan to Chordaha) 11 KV Transmission line (5.6322 ha)

13.02.18

261 दिनांक 30.01.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त C.A Land हेतु 12 हे0 ग्रौस रकबा 15 हे0 C.A Land का D.G.P.S प्राप्त हैं, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर तीन प्रतियों में भेजा जा रहा है।

अनुपालन प्रतिवेदन सरकार को भेजने हेतु वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2014 द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। अनुरोध है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव हेतु कुल 5.6322 हे0 वनभूमि अपयोजन के लिए स्टेज–I स्वीकृति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

13.02.18

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

13.2.18

D:\SUNIL\Proposal (K)\RGGVY\Chouparan to Chordaha) 11 KV Transmission line (5.6322 ha)